भोपाल में 340 जगह पेयजल की जांच

नगर निगम प्रशासन ने कहा- सभी स्थानों पर पाई गई पेयजल की उपयुक्त गुणवत्ता

भोपाल, 2 जनवरी. इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई लोगों की मौत के बाद राजधानी भोपाल में नगर निगम द्वारा शुक्रवार को 340 स्थानों से पेयजल का सैंपल लेकर लैब में उसका परीक्षण कराया गया. नगर निगम प्रशासन का कहना है कि सभी स्थानों पर पानी की गुणवत्ता उपयुक्त पाई गई.

हालांकि, निगम का यह भी कहना है कि भोपाल शहर के नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है और समय-समय पर पेयजल की शुद्धता की जांच भी की जाती है. महापौर मालती राय और नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दलों ने शुक्रवार को शहर के 340 स्थानों से जल के नमूने लेकर गंध, रंग, स्वाद, रेसिडुअल, क्लोरीन, पीएच, टरबीलिटी आदि मापदण्डों के आधार पर परीक्षण किया गया, जिसमें पानी की गुणवत्ता उपयुक्त पाई गई.

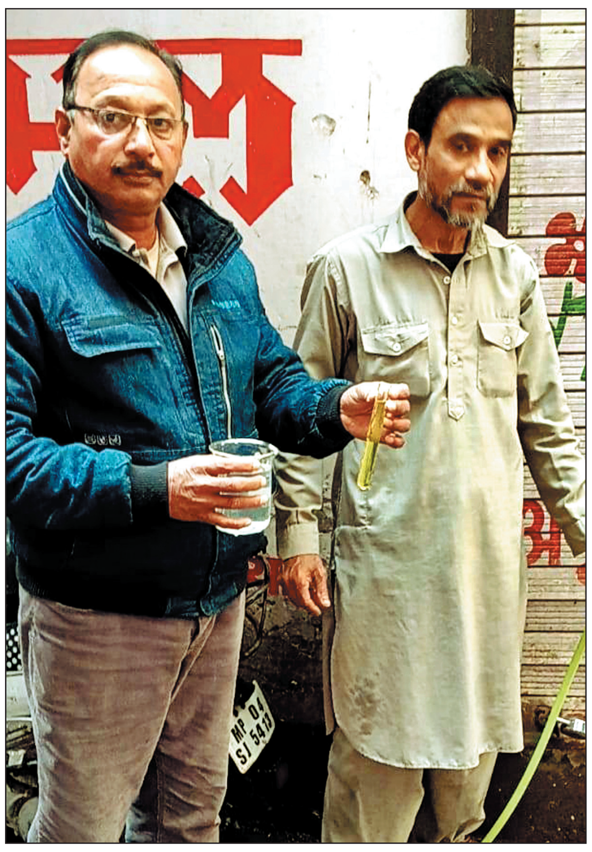

शहर के इन स्थानों में की पेयजल की जांच

नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के दलों ने बैरागढ़ जैन मंदिर, साधु वासवानी स्कूल, एच-वार्ड बैरागढ़, नेहरू पार्क, भौंरी बंगला, ईदगाह हिल्स, वाजपयी नगर, दुर्गा नगर, अमीरगंज, जज कालोनी, डॉक्टर कालोनी, नारियलखेड़ा, भोईपुरा, सनराइज कालोनी, संत कुंवर राम कालोनी, टीला जमालपुरा, मोती क्वाटर्स, फिजा कालोनी, बैलदारपुरा, नूरमहल रोड, बाल विहार, सेफिया कॉलेज रोड, लक्ष्मी टॉकीज, फतेहगढ़, श्याम नगर, पत्रकार कालोनी, शाहपुरा ए-सेक्टर, राहुल नगर, अर्जुन नगर, अंजलि कॉम्प्लेक्स, 12 नंबर स्टॉप मल्टी, तुलसी नगर, विधानसभा क्षेत्र, वल्लभ भवन, पुलिस लाइन जेल रोड, अहीर मोहल्ला, जहांगीराबाद, कोलीपुरा, झदा कॉलोनी, जहांगीराबाद गर्ल्स स्कूल, कोटरा सुल्तानाबाद, राजीव नगर, नया बसेरा, अम्बेड़कर नगर, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, संजय काम्प्लेक्स, नेहरू नगर, सरस्वती नगर, चांदबड़, सेमराकला, नेहरू कालोनी, द्वारका नगर, विजय नगर, राजेन्द्र नगर, गरम गड्ढा, पुरुषोत्तम नगर, सौरभ कॉलोनी, नवबहार कॉलोनी, नवीन नगर, शिव नगर हिनौतिया, बिसमिल्ला कालोनी, शहंशाह गार्डन, न्यू सेमरा, अशोका गार्डन, सुभाष नगर, मोमिनपुरा, अफजल कॉलोनी, शिवाजी नगर, सांची काम्प्लेक्स, एम.पी.नगर जोन-1, अभिरुचि परिसर, अमराई, नारायण नगर, जाटखेड़ी, बाग मुगालिया, लहारपुर, 9-बी साकेत नगर, बाग सेवनिया, गणेश नगर, खजूरीकलां, बालाजी नगर, शक्ति नगर ए-सेक्टर, टैगौर नगर, बरखेड़ा पठानी, शांति नगर, मस्के कालोनी, पंचवटी मार्केट, इन्द्रपुरी ए, बी एवं सी-सेक्टर, अयोध्या नगर एक्सटेंशन, सतनामी नगर, सोनागिरी, प्रकाश नगर, लेबर कालोनी, नरेला संकरी, राजीव नगर अयोध्या बायपास, लाउखेड़ी, एयरपोर्ट रोड, लालघाटी, प्रेमचंद कालोनी, बी.डी.ए कॉलोनी, नयापुरा, गांधी नगर, विजय नगर सहित 340 स्थानों से पेयजल के नमूने लेकर परीक्षण किया.

डीआरएम ने बीना स्टेशन का किया निरीक्षण

रानी कमलापति से बीना रेलखंड तक विंडो ट्रेलिंग का निरीक्षण

सुरक्षा से जुड़ी अवसंरचनाओं का अवलोकन किया

भोपाल,2 जनवरी. पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) पंकज त्यागी ने रानी कमलापति से बीना रेलखंड तक विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया.

इस दौरान उन्होंने रेलखंड की संरचना, ट्रैक की स्थिति, सिग्नलिंग प्रणाली, लेवल क्रॉसिंग तथा सुरक्षा से जुड़ी अवसंरचनाओं का गहन अवलोकन किया.बीना स्टेशन पहुंचकर डीआरएम ने यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, परिचालन व्यवस्था और संरक्षा पहलुओं की समीक्षा की.उन्होंने स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में स्वच्छता व्यवस्था, बुकिंग कार्यालय, पे-एंड-यूज शौचालय, पेयजल सुविधा, प्लेटफॉर्म पर संचालित खानपान स्टॉल, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों की कार्यशीलता सहित स्टेशन परिसर की समग्र व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया.

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान डीआरएम त्यागी ने लोको पायलट एवं गार्ड की संयुक्त क्रू-लाबी का भी जायजा लिया. यहां उन्होंने रनिंग स्टाफ से सीधे संवाद कर ट्रेन संचालन से जुड़ी समस्याओं और सुझावों को सुना तथा कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए .इसके अलावा, डीआरएम ने बीना स्टेशन पर चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्य का विस्तृत निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की और कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए .इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रोहित मालवीय, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी विजय शंकर गौतम, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (उत्तर) सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

तीन दिन पुराने युवक के शव को चूहों ने कुतरा

सलामतपुर. राजीवनगर बस्ती के बंद कमरे में युवक का क्षत विक्षत शव मिला. शव लगभग तीन से चार दिन पुराना लग रहा है उसे चूहों ने जगह जगह से कुतर कर खा लिया है. बदबू आने के बाद मामले का खुलासा हुआ है. पुलिस को रियाज़ अली पिता रफ्फु अली शाह निवासी ने सूचना दी. मौके पर पहुंची सलामतपुर पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच की. कमरा अंदर से बंद होने के कारण पुलिस कमरे के पीछे बनी खिड़की से अंदर घुसी तो युवक का क्षत विक्षत शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था.

बर्फीली हवाओं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बढ़ी ठंड

भोपाल, 2 जनवरी. उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के असर से मध्य प्रदेश के मौसम ने एक बार फिर यू-टर्न ले लिया है।

प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड के साथ मावठ का असर दिखने लगा है.मौसम विभाग ने एमपी के पांच जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि कई इलाकों में मध्यम से अति घने कोहरे की चेतावनी दी गई है.ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित होने लगा है.गुरुवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दतिया में दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई.सबसे कम अधिकतम तापमान दतिया में 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि ग्वालियर में 16.5, मुरैना में 18.9 और शहडोल में 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.न्यूनतम तापमान की बात करें तो पंचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया.खजुराहो और शिवपुरी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री, जबकि रीवा और राजगढ़ में 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहा, हालांकि दतिया जिले में शीतल दिन की स्थिति बनी रही.

प्रदेश के कई जिलों में मध्यम, घना और अति घना कोहरा छाने की संभावना है.ग्वालियर, दतिया, भिंड, रीवा, सतना, पन्ना और बुंदेलखंड के अन्य जिलों में अति घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने लोगों को ठंड और कोहरे को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है.

चंबल संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। ग्वालियर और सागर संभाग में भी तापमान 2.2 से 2.5 डिग्री तक गिरा। वहीं भोपाल, जबलपुर और शहडोल संभागों में अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में उज्जैन और जबलपुर संभाग में 2.2 से 2.6 डिग्री तक बढ़ोतरी देखी गई, जबकि शहडोल संभाग में यह बढ़ोतरी 4.4 डिग्री तक रही। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और ऊपरी वायुमंडल में तेज उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं, जिससे मौसम में यह बदलाव आया है।

शिक्षकों का संवेदनशील होना जरूरी

निटर में शिक्षकों की भूमिका विषय पर व्याख्यान

भोपाल 2 जनवरी. अधिकार और कर्तव्य एक गाड़ी के दो पहिये हैं और शिक्षक ही समाज को इस संतुलन का सही अर्थ समझा सकते हैं.

यह बात भारत विकास परिषद के संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल ने एनआईटीटीटीआर भोपाल में भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग द्वारा नागरिक कर्तव्यों में शिक्षकों की भूमिका विषय पर आयोजित व्याख्यान में मुख्य वक्ता बतौर कही. उन्होंने भारतीय संवेदना के बिना निर्माण संभव नहीं है इसलिए शिक्षकों का संवेदनशील होना अत्यंत आवश्यक है. शिक्षक को अपने कार्य का आत्ममूल्यांकन करते हुए शिक्षा को केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य के रूप में भी देखना चाहिए. कार्यक्रम के अध्यक्ष निटर भोपाल के निदेशक डॉ सी सी त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का सशक्त माध्यम है. शिक्षकों की संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा से ही आदर्श नागरिकों का निर्माण होता है. डीन साइंस एवं आईकेएस हेड प्रो. पी के पुरोहित ने कहा कि शिक्षकों के प्रयासों से ही सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहते हुए नया ज्ञान आगे बढ़ता है. शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक सफलता नहीं बल्कि संवेदनशील और कर्तव्यपरायण नागरिक तैयार करना भी है. कार्यक्रम में वंदना त्रिपाठी डॉ आर के दीक्षित डॉ रामेन्द्र सिंह सहित संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे. कार्यक्रम का संचालन बबली चतुर्वेदी द्वारा किया गया.

दीवार गिरने से महिला की मौत

सलामतपुर, 2 जनवरी. दहीड़ा गांव में एक पुराने मकान की दीवार गिरने से महिला की दबकर मौत हो गई. पुलिस को मृतका आशा बाई ठाकुर उम्र 41 वर्ष के पति मलखान सिंह ठाकुर ने सूचना देकर मामले से अवगत कराया.

मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मर्ग का मामला कायम कर जांच में लिया है. शुक्रवार को सांची सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. जानकारी अनुसार दहीड़ा गांव में मलखान सिंह ठाकुर के 30 से 35 साल पुराने मकान का निर्माण कार्य चल रहा है. बताया जाता है कि एक जनवरी को नया साल होने की वजह से मिस्त्री और मजदूर नहीं आए थे तो निर्माण कार्य बंद था. घर में आशा बाई ठाकुर पुरानी दीवार के पास घरेलू कार्य कर रही थीं. तभी पुरानी कच्ची दीवार उनके ऊपर गिर गई. आशा बाई उसमें दब गईं. परिजनों ने तत्काल उन्हें बाहर निकाला और इलाज के लिए भोपाल लेकर पहुंचे. लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने आशा बाई को मृत घोषित कर दिया.

Name Change

It is for general information that I, Daksh bhadoriya S/o Keshav Singh Rajput R/o Ward N03, Sardar Patel Pura, Kawad Mohlla, Itarsi, Hoshangabad, Madhya Pradesh-461111 have changed my name and shall hereafter be known as Daksh Singh Rajput.

कांग्रेस लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर : शर्मा

बैरसिया, 2 जनवरी. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बैरसिया के नवनियुक्त अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने कहा है कि भाजपा के द्वारा धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटने के प्रयास जारी हैं, लेकिन कांग्रेस संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी.

शुक्रवार को नवभारत से चर्चा में ब्लॉक अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा गरीबों, किसानों, मजदूरों ओर समाज से वंचित वर्गों के उत्थान की रही है. उन्होंने कहा कि जल्द ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बैरसिया क्षेत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार और आम जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा कि जहां किसान महंगा खाद लेने को मजबूर है, वही आम जनता को बिजली के भारीभरकम बिल करंट मार रहे हैं. इधर राजस्व कामों को लेकर भी किसान काफी परेशान है. गरीबों को उनके हक का राशन भी समय पर नहीं मिल पा रहा है. दफ्तरों में बैठे जिम्मेदार अधिकारी - कर्मचारी बगैर दान दक्षिणा के काम नहीं कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि आम जनता के अधिकारों और हक के लिए ब्लॉक कांग्रेस जल्द सड़कों पर उतर प्रदर्शन करेगी. इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में रणनीति तैयार की जा रही है.

चोरी की 10 बाइक बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

सलामतपुर. पुलिस ने बाइक चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 चोरी की कुल मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई जा रही है. विदिशा निवासी फरियादी विनय शंकर मिश्रा ने 1 जनवरी 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 दिसंबर की शाम मेहगांव बालाजी धाम मंदिर दर्शन के दौरान उनकी बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई.

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION
Swachh Bharat Mission
IInd Floor, Kushabhau Thakre Inter-State Bus Terminal (ISBT) Campus
Ambedkar Marg, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.)

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Ref No.159 **Date: 1-1-2026**

Tender for online submissions are invited on website **www.mptenders.gov.in** under "Live Tender" and Department Name "Bhopal Municipal Corporation" for following work. Detailed NIT, Tender Schedule and other information can be seen on the website www.mptenders.gov.in.

S. No.	Tender ID	Name of Work	Probable Amount of Contract in Rs.	(EMD) (In Rs)	Cost of Bid Document (In Rs.)
1.	2025_UAD_472277_1	REPAIRING AND MAINTENANCE WORK OF LEACHATE TREATMENT PLANT ADAMPUR CHAWANI	5,47,600/-	6,000/-	2,000/-

Corrigendum and Amendment for above NIT shall not be issued separately in newspapers & correction if any, would be published on website only.

T.H. 2913/025/026

Executive Engineer (SBM)
Municipal Corporation, Bhopal

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल हरदा
फोन- 07577-222003, फैक्स- 07577-224224, ई-मेल- dfotharda@mp.gov.in

विज्ञप्ति

हरदा सामान्य वन मंडल के अंतिम रूप से राजसात वाहन (जहां है, जैसा है) के विक्रय हेतु मुहरबंद निविदाएं वन मंडल कार्यालय सामान्य हरदा में दिनांक 13/1/2026 को 3 बजे तक आमंत्रित की गई हैं, जो कि उक्त दिनांक 13/1/2026 को दिन के 3 बजे तक प्राप्त की जावेंगी तथा प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष दिनांक 13/1/2026 को ही 4 बजे खोली जावेंगी. निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी.

जप्त राजसात वाहन का विवरण जिनका निविदा द्वारा विक्रय किया जाना है :-

अ.क्र	वाहन का क्रमांक	वाहन का नाम	वाहन का प्रकार	स्थान, जहां वाहन रखा है
1,	RJ192G2705	ट्रक टाटा	जप्तशुदा राजसात वाहन	परिक्षेत्र कार्यालय हंडिया स्थान हरदा
2.	MP09CF9709	पिकअप वाहन	--,,--	निस्तार डिपो खिरकिया

निविदाकार के लिए निम्नानुसार शर्तें बंधनकारी होंगी :-

1. निविदा फार्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किए जा सकेंगे. प्रति निविदा फार्म की कीमत रुपए 100/- नगद जमा करनी होगी, जो वापसी योग्य नहीं होगी. निविदा फार्म दिनांक 13/1/2026 को दोपहर 2 बजे तक ही प्रदाय किए जावेंगे.
2. निविदाकार को प्रत्येक वाहन के लिए पृथक-पृथक निविदा के साथ दोपहिया वाहन की जमानत के रूप में राशि रुपए 2000/- एवं चार पहिया वाहन की जमानत के रूप में राशि रुपए 5000/- का बैंक ड्रॉफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक का अधोहस्ताक्षरकर्ता के पदनाम (वन मंडल अधिकारी सामान्य हरदा) से जो हरदा में देय हो, प्रस्तुत करना होगा.
3. वाहनों के रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई कागजात उपलब्ध नहीं हैं और न ही उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विभाग की होगी.
4. वाहन पर किसी संस्थान/ बैंक/ निजी व्यक्ति फायनेंस बावत् कोई जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी.
5. सफल निविदाकार को वाहन क्रय की स्वीकृति प्रदान करने के 15 दिनों के अदर वाहन की शेष राशि एवं क्रय वाहन की कीमत पर शासन निर्देशानुसार 18 प्रतिशत जीएसटी राशि का बैंक ड्रॉफ्ट पृथक से जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा जमानत की राशि राजसात करते हुए वाहन क्रय की स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी.
6. निविदा में उल्लेखित जप्तशुदा राजसात वाहन वर्तमान में जहां जैसा है, निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में उसी हालत में प्राप्त करना होगा.
7. परिवहन विभाग में वाहन को पंजीकृत कराने का दायित्व क्रेता का होगा.
8,. निविदा की विस्तृत शर्तें दिनांक 13/1/2026 तक कार्यालयीन समय में वनमंडल कार्यालय में देखी जा सकेंगी.
9. निविदाकार उक्त वाहनों का अवलोकन/ भौतिक सत्यापन कार्यालयीन समय में दर्शाए गए स्थानों पर कर सकेंगे तथा भौतिक सत्यापन पश्चात निविदा फार्म का क्रय एवं निविदा फार्म डालेंगे. निविदा दिनांक को वर्णित वाहनों के संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी.
10. निविदा मान्य अथवा अमान्य करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा.
11. विवाद की स्थिति में हरदा ज्यूडिशियल क्षेत्र होगा.

(अनिल चोपड़ा)
भा.व.से. वन मंडलाधिकारी, हरदा (सामान्य) वन मंडल

G23759/25

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल हरदा
फोन- 07577-222003, फैक्स- 07577-224224, ई-मेल- dfotharda@mp.gov.in

विज्ञप्ति

हरदा सामान्य वन मंडल के अंतिम रूप से राजसात वाहन (जहां है, जैसा है) के विक्रय हेतु मुहरबंद निविदाएं वन मंडल कार्यालय सामान्य हरदा में दिनांक 13/1/2026 को 3 बजे तक आमंत्रित की गई हैं, जो कि उक्त दिनांक 13/1/2026 को दिन के 3 बजे तक प्राप्त की जावेंगी तथा प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष दिनांक 13/1/2026 को ही 4 बजे खोली जावेंगी. निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी.

जप्त राजसात वाहन का विवरण जिनका निविदा द्वारा विक्रय किया जाना है :-

अ.क्र	वाहन का क्रमांक	वाहन का नाम	वाहन का प्रकार	स्थान, जहां वाहन रखा है
1,	MP47G0734	बोलेरो पिकअप वैन	जप्तशुदा राजसात वाहन	निस्तार डिपो खिरकिया
2.	MP43G2394	बोलेरो पिकअप वैन	--,,--	वन चौकी लाल्याचापड़ सिराली
3.	MP47ME8565	मो.सा.टी.व्ही.एस. स्टार स्पोर्ट्स	--,--	वन चौकी लाल्याचापड़ सिराली
4.	MP48ZA5395	मो.सा.टी.व्ही.एस. स्टार सी.टी. प्लस	--,,--	परिक्षेत्र कार्यालय बोरपानी स्थान रहटगांव
5.	MP47ZA2039	मो.सा. प्लेटिना 100 ई.एस.	--,,--	--,,--
6.	MP47MK6195	मो.सा. सी.टी. 100 ई.एस.	--,,--	--,--
7.	MP47G0632	टाटा पिकअप वैन	--,,--	परिक्षेत्र कार्यालय हंडिया स्थान हरदा

निविदाकार के लिए निम्नानुसार शर्तें बंधनकारी होंगी :-

1. निविदा फार्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किए जा सकेंगे. प्रति निविदा फार्म की कीमत रुपए 100/- नगद जमा करनी होगी, जो वापसी योग्य नहीं होगी. निविदा फार्म दिनांक 13/1/2026 को दोपहर 2 बजे तक ही प्रदाय किए जावेंगे.
2. निविदाकार को प्रत्येक वाहन के लिए पृथक-पृथक निविदा के साथ दोपहिया वाहन की जमानत के रूप में राशि रुपए 2000/- एवं चार पहिया वाहन की जमानत के रूप में राशि रुपए 5000/- का बैंक ड्रॉफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक का अधोहस्ताक्षरकर्ता के पदनाम (वन मंडल अधिकारी सामान्य हरदा) से जो हरदा में देय हो, प्रस्तुत करना होगा.
3. वाहनों के रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई कागजात उपलब्ध नहीं हैं और न ही उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विभाग की होगी.
4. वाहन पर किसी संस्थान/ बैंक/ निजी व्यक्ति फायनेंस बावत् कोई जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी.
5. सफल निविदाकार को वाहन क्रय की स्वीकृति प्रदान करने के 15 दिनों के अन्दर वाहन की शेष राशि एवं क्रय वाहन की कीमत पर शासन निर्देशानुसार 18 प्रतिशत जीएसटी राशि का बैंक ड्रॉफ्ट पृथक से जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा जमानत की राशि राजसात करते हुए वाहन क्रय की स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी.
6. निविदा में उल्लेखित जप्तशुदा राजसात वाहन वर्तमान में जहां जैसा है, निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में उसी हालत में प्राप्त करना होगा.
7. परिवहन विभाग में वाहन को पंजीकृत कराने का दायित्व क्रेता का होगा.
8,. निविदा की विस्तृत शर्तें दिनांक 13/1/2026 तक कार्यालयीन समय में वनमंडल कार्यालय में देखी जा सकेंगी.
9. निविदाकार उक्त वाहनों का अवलोकन/ भौतिक सत्यापन कार्यालयीन समय में दर्शाए गए स्थानों पर कर सकेंगे तथा भौतिक सत्यापन पश्चात निविदा फार्म का क्रय एवं निविदा फार्म डालेंगे. निविदा दिनांक को वर्णित वाहनों के संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी.
10. निविदा मान्य अथवा अमान्य करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा.
11. विवाद की स्थिति में हरदा ज्यूडिशियल क्षेत्र होगा.

(अनिल चोपड़ा)
भा.व.से. वन मंडलाधिकारी, हरदा (सामान्य) वन मंडल

G23754/25

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला इन्दौर (म.प्र.)
फोन- 0731-2449127, E-mail- deo.mpedind@mp.gov.in

क्रमांक/आब./ठेका/2025/06 **इन्दौर, दिनांक 1/1/2026**

विज्ञप्ति

वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए जिला इन्दौर के मदिरा एकल समूह क्र. IND-7 द्वारकापुरी में सम्मिलित कम्पोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का ई-टेंडर (ई-टेंडर कम ऑक्शन) द्वारा पुनर्निष्पादन की निविदा सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी तथा कम्पोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि जिला इन्दौर में वर्ष 2025-26 की शेष अवधि (दिनांक 7/1/2026 सके 31/3/2026 तक) के लिए जिला इन्दौर के मदिरा एकल समूह क्रमांक IND-3 द्वारकापुरी में सम्मिलित निम्नानुसार कम्पोजिट मदिरा दुकानो का ई-टेंडर (समान दुकान/ दुकानों अथवा समूह/ समूहों पर ई-टेंडर एवं ई-टेंडर कम ऑक्शन साथ-साथ भी) के माध्यम से पुनर्निष्पादन, शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन कलेक्टर जिला इन्दौर की अध्यक्षता में गठित जिला निष्पादन समिति द्वारा निम्नानुसार कार्यक्रम एवं निष्पादन स्थल पर किया जाएगा. मदिरा दुकानों के निष्पादन के संबंध में नीति-निर्देश विभाग की वेबसाइट www.excise.mp.gov.in से भी प्राप्त किए जा सकते हैं.

ई-टेंडर (ई-टेंडर एवं ई-टेंडर कम ऑक्शन) के माध्यम से कम्पोजिट मदिरा दुकानों/ एकल समूह के पुनर्निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :-

क्र	विवरण	दिनांक व समय
1.	ई-टेंडर (ई-टेंडर एवं ई-टेंडर कम ऑक्शन) हेतु ऑनलाइन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ऑफर सबमिट करने की तिथि एवं समय	दिनांक 1 जनवरी, 2026 को सायं 5 बजे से दिनांक 6 जनवरी, 2026 को प्रात: 11.30 बजे तक.
2.	ई-टेंडर कम ऑक्शन प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 6 जनवरी, 2026 को दोपहर 12.00 बजे से
3.	ई-टेंडर कम ऑक्शन अंतर्गत ऑक्शन प्रारंभ एवं बंद होने की तिथि एवं समय	दिनांक 6 जनवरी, 2026 को दोपहर 2.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक (तत्पश्चात 15 मिनिट के अंतराल में बोली दिए जाने पर आगामी 15 मिनिट के लिए समयावधि में वृद्धि)
4.	ई-टेंडर खोलने की तिथि एवं समय	संबंधित समूह का ऑक्शन समाप्त होने अथवा 07 जनवरी 2026 को प्रात: 10.30 बजे (जो भी बाद में हो)
5.	जिला समिति द्वारा ई-टेंडर (ई-टेंडर एवं ई-टेंडर कम ऑक्शन) के माध्यम से निराकरण किए जाने की तिथि एवं समय	ई-टेंडर खोलने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक

नोट :- अपरिहार्य परिस्थितियों में उपरोक्त कार्यक्रम की तिथियों एवं समय में परिवर्तन का अधिकार कलेक्टर, जिला इन्दौर को रहेगा.

पुनर्निष्पादन किए जाने वाली कम्पोजिट मदिरा दुकानों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	समूह का नाम	समूह क्रमांक	समूह में सम्मिलित कम्पोजिट मदिरा दुकानों का नाम	मदिरा दुकान/ एकल समूह का वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य	मदिर दुकान/ एकल समूह की वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस	मदिरा दुकान/एकल समूह की वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए निर्धारित धरोहर राशि	आवेदन शुल्क राशि
1.	द्वारकापुरी	IND-3	द्वारकापुरी	85668899	4283445		
			अहिरखेड़ी	36871783	1843589		
			रेत की मंडी चौराहा	19990182	999509		
			योग	**142530864**	**7126543**	**2500000**	**30000**

उक्त समूह के लिए ई-टेंडर तथा ई-टेंडर कम ऑक्शन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से ऑफर प्राप्त करने हेतु 02 पृथक-पृथक टेंडर्स लाइव किए जाएंगे. टेंडरदाता, किसी समूह के लिए एक प्रक्रिया अथवा दोनों प्रक्रियाओं में भाग ले सकेगा, किन्तु दोनों प्रक्रियाओं में भाग लेने हेतु उनके द्वारा पृथक-पृथक टेंडर फीस एवं EMD की राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा. समूह के लिए प्रथमत: ई-टेंडर कम ऑक्शन की प्रक्रिया को पूर्णत: सम्पादित कर, ऑक्शन में उच्चतम ऑफर प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही संबंधित समूह के ई-टेंडर की तकनीकी एवं फायनेंशियल बिड को क्रमश: खोला जाएगा. उक्त दोनों प्रक्रियाओं में प्राप्त उच्चतम ऑफर्स में से अधिक राशि के ऑफर पर निष्पादन का निर्णय लिया जाएगा. ई-टेंडर (ई-टेंडर एवं ई-टेंडर कम ऑक्शन) की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/ टेंडरदाता (बिडर) को NIC के mptenders पोर्टल https://mptenders.gov.in के होम पेज पर Online Bidder Enrollment में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करना होगी. इस हेतु बिडर का क्लास-3 डिजिटल सिग्नेचर होना आवश्यक है. रजिस्ट्रेशन उपरान्त इच्छुक बिडर अपनी लॉगिन आई.डी., पासवर्ड एवं डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है. एक व्यक्ति/फर्म/एलएलपी/कंपनी/कंसोर्टियम एक या एक से अधिक अथवा सभी मदिरा दुकानों/ एकल समूह के लिए अलग-अलग (ई-टेंडर एवं ई-टेंडर कम ऑक्शन) की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे. उक्त प्रक्रिया में भाग लेने हेतु बिडर को ई-आबकारी पोर्टल (https://eaabkari.mp.gov.in) के कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में पंजीकृत होना अनिवार्य है. टेंडरदाता को किसी भी मदिरा दुकान/ एकल समूह के टेक्नीकल पात्रता हेतु ई-आबकारी पोर्टल के कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में पंजीकरण एवं स्वीकृति उपरान्त प्राप्त Approval Slip को टेक्नीकल बिड में आवश्यक रूप से अपलोड करनी होगी. टेक्नीकल बिड में पात्रता हेतु अन्य किसी अभिलेख की आवश्यकता नहीं होगी. किसी समूह पर निविदा प्रस्तुत करने के लिए बिडर को पोर्टल प्रोसेसिंग फीस, उस संबंधित समूह के टेंडर फार्म की कीमत एवं उक्त समूह की निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि ऑनलाइन NEFT/RTGS अथवा Net Banking के माध्यम से जमा कराते हुए अपनी टेक्नीकल एवं फाइनेंशियल बिड सबमिट करनी होगी. तदुपरान्त ही बिडर अपनी बिड फ्रीज कर सकता है. इच्छुक व्यक्ति ई-टेंडर (ई-टेंडर एवं ई-टेंडर कम ऑक्शन) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/ एकल समूह के संबंध में आवश्यक जानकारी तथा प्रभावशील शर्तें एवं नियम संबंधी जानकारी ई-टेंडर सुविधा प्रदाता NIC के पोर्टल https://mptenders.gov.in के साथ-साथ कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला इन्दौर से भी कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनों सहित) से प्राप्त कर सकेगा.

मदिरा दुकानों के पुनर्निष्पादन हेतु ई-टेंडर (ई-टेंडर एवं ई-टेंडर कम ऑक्शन) की कार्यवाही में जो व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी/ कंसोर्टियम भाग लेना चाहें, वे इस संबंध में उल्लेखित वर्णित प्रक्रिया, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अंतर्गत ई-टेंडर द्वारा NIC के पोर्टल https://mptenders.gov.in पर ऑफर दे सकते हैं.

म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 47 दिनांक 14 फरवरी 2025 की कंडिका 13.15 सहपठित आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पत्र क्रमांक /7-ठेका/2025/ई-425496 दिनांक 15/2/2025 की कंडिका क्रमांक 31.15 अनुसार निरस्तीकृत लायसेंस वाले समूह का पुनर्निष्पादन टेंडर, लाइव होने के पूर्व लायसेंसी द्वारा उसकी संपूर्ण अवशेष न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि जमा कराई जाकर एवं शेष सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष की अवधि हेतु अवशेष न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के 01 प्रतिशत राशि के समतुल्य डिफाल्टर राशि का भुगतान करने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उक्त लायसेंस के संचालन को पूर्ववत अनुमत किया जा सकेगा.

म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 47 दिनांक 14 फरवरी 2025 की कंडिका 39.6 सहपठित आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पत्र क्रमांक /7-ठेका/2025/ई-425496 दिनांक 15/2/2025 की कंडिका क्रमांक 52.6 अनुसार, वर्ष 2025-26 हेतु मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की सभी शर्तें, वर्ष 2025-26 के दौरान होने वाले मदिरा दुकानों के पुन: निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में भी यथावत् प्रभावशील रहेंगी.

(जिला निष्पादन समिति द्वारा अनुमोदित)

(अभिषेक तिवारी)
सहायक आबकारी आयुक्त
वास्ते कलेक्टर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

G23734/25